रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 2, 2012/आषाढ़ 11, 1934
No. 321] NEW DELHI, MONDAY, JULY 2, 2012/ASADHA 11, 1934

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2012

सा.का.नि. 526(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निदेशक (ऋण, इक्विटी, सूचना प्रबंधन प्रणाली और लेखा एवं कोष), निवेश प्रभाग, डाक जीवन बीमा निदेशालय के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, नामत: :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को डाक विभाग, निदेशक (ऋण, इक्विटी, सूचना प्रबंधन प्रणाली और लेखा एवं कोष), निवेश प्रभाग, डाक जीवन बीमा निदेशालय, भर्ती नियमावली, 2012 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतन, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों के प्रवर्गों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके, इन नियमों के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	निदेशक (ऋण)	2012 के लिए 1 (एक) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा (जीसीएस), समूह 'क' (राजपत्रित पद)	वेतन बैंड-3 15600-39100 रु. (ग्रेड वेतन - 7600 रुपए)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अल्प अवधि अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	<u>प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध सहित)</u>: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रदेश की सरकार अथवा अर्ध शासकीय अथवा सांविधिक निकायों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में अधिकारी :- (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; अथवा	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ प्रत्येक अवसर पर परामर्श आवश्यक है।